न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी आर.ए.एस
अपील संख्या 66/2019 एल आर एक्ट (GCMS No 2019/ 00070)

अनवान देवेन्द्र कुमार बनाम सरकार

अपील विरूद्व आदेश– जिला कलक्टर चूरू दिनांक 21.02.2013

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
31.01.2023	पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत अपील जिला कलक्टर चूरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.02.2013 के विरूद्व भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर ने राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रप–6) विभाग की जारी अधिसूचना नं. 1 (17) राजस्व–6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 के परिपेक्ष में इस न्यायालय को हस्तान्तरित की गई। प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट एवं उसके अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित नही होने पर इस न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के निमित नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट के निमित जारी नोटिस पर अपीलान्ट का फौत होने की रिर्पोट होकर प्राप्त हुआ है। फौत होने की रिर्पोट स्वय अपीलान्ट के पुत्र सुशील कुमार एवं देवेन्द्र कुमार ने की है। इस प्रकार अपील में अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा उपस्थित नही होने तथा अपीलान्ट का फौत होने पर उनके वारिसानो द्वारा भी उपस्थित नही होने पर आवाज लगवाई गई, बावजूद आवज के उपस्थित नही होने पर पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर आदेश की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाकर पत्रावली बाद तरतीब,तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर	